यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-प्रथम, राज्य कर, रूद्रपुर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-प्रथम राज्य कर, रूद्रपुर के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि भूषण व.ले.प. एवं श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 07.12.2018 से 15.12.2018 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रमेश केशरी, एवं श्री एस.एस.दरियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.03.2018 से 22.03.2018 तक श्री पी.के.गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	20346.60
2016-17	23623.59
2017-18	16534.03

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थपना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	-	-	-	-	-	-	-
2016-17				शून्य				
2017-18	-	-	-	-	-	-	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-प्रथम, राज्य कर, रूद्रपुर** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-प्रथम, राज्य कर, रूद्रपुर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2(अ)

प्रस्तर सं0 01- कर का न्यूनारोपण 14.47 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(i)(ई) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल के भिन्न माल के विक्रय पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित होगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) खण्ड-1 राज्यकर, रुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में निम्नांकित कमियां पाई गई :-

1. व्यापारी सर्वश्री शिरडी इंडस्ट्रीज पंतनगर क0नि0 वर्ष 2014-15 द्वारा संगत वर्ष में ₹1,49,59,695/- का स्वनिर्मित MDF एवं PPB की प्रांतीय बिक्री की गयी थी। जिस पर 5% की दर से कर अदा किया गया था। क्योंकि उक्त वस्तु उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनुसुची से आच्छादित नहीं थी|
अत: उक्त वस्तु की बिक्री पर अन्तरीय दर 8.5 प्रतिशत की दर से ₹ 12,71,574/- का अतिरिक्त कर आरोपित होगा।
2. व्यापारी सर्वश्री कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईंन सर्विसेज रुद्रपुर कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के वाद में संगत वर्ष में ₹ 732550/- के Railing व ₹1330759/- के Sanitary Goods की खरीद करते हुए उसका अंतरण सविदा के कार्य में किया गया जिस पर 13.5% की जगह 5% की दर से कर आरोपित किया गया था| इस प्रकार संदर्भित प्रकरण में 8.5% की अन्तरीय दर से ₹ 175381/- के कर का न्यूनारोपण हुआ|
लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरांत कार्यवाही कर अवगत कराने का आश्वासन दिया गया|

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - 2(अ)

प्रस्तर 02- कर का अनारोपन ₹31.89 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(7)(e) के प्रावधानों के अनुसार प्रांतीय फॉर्म – 11 के विरुद्ध रियायती दर पर खरीद किये गये माल से निर्मित माल के स्टॉक ट्रान्सफर किये जाने पर स्टॉक ट्रान्सफर 2% की दर से कर आरोपनिय होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.)-I राज्य कर रुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री इन्डोरैंस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पंतनगर कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के वाद में संगत वर्ष में ₹ 1733986566/- के Raw Material एवं Consumable की खरीद फॉर्म – 11 के विरुद्ध की गई थी जो संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा किये गये कुल खरीद ₹ 3065748862/- का 56.56% था|

पत्रावली की आगे लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्योव्हारी द्वारा संगत वर्ष में ₹281977512/- के निर्मित माल का स्टॉक ट्रान्सफर किया गया| अर्थात व्योव्हारी द्वारा अनुपातित रूप से ₹159486481/- का स्टॉक ट्रान्सफर फॉर्म – 11 से किये गये खरीद से निर्मित माल का किया गया जिस पर 2% की दर से ₹3189730/- का कर आरोपणीय था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरांत कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया |

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – 2(ब)

प्रस्तर –01 कर एवं ब्याज की वसूली न होने के कारण राजस्व हानि ₹68.04 लाख|

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 34(12) के प्रावधानों के अनुसार इस अधिनियम के अधीन बाकाये धनराशि की वसूली भू राजस्व बकाये की तरह की जाएगी|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.)-I राज्यकर रुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में यह पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईंन सर्विसेज रुद्रपुर कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के वाद में व्यौहारी के विरुद्ध संगत वर्ष में ₹38,33,006/- की मांग सृजित की गई थी जिसपर दिनांक 01.10.2013 से जमा करने की तिथि तक 15 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देय था| व्यापारी के संगत वर्ष का कर निर्धारण अप्रैल 2017 को किया गया था तथा उपरोक्त धनराशि एवं ब्याज ₹29,70,580/- (माह नवम्बर 2018 तक) लेखापरीक्षा की तिथि तक वसूल नहीं किया गया था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2(ब)</u>

प्रस्तर02- अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 18.68 **लाख**|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत किसी व्यौहारी ने युक्ति – युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो वह देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो का दायी होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) –I राज्य कर, रुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि 0**3** व्यापारियो द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि ₹**18683371**/- को विलंब से जमा किया गया था|

(विवरण संलगन)

अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम 10% की दर से नियमानुसार ₹1868337/- का अर्थदण्ड अरोपनीय था जो नहीं किया गया था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बिंदु संख्या 01 एवं 03 के सन्दर्भ में जांचोपरांत कार्यवाही का आश्वासन दिया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

बिंदु संख्या 02 के सन्दर्भ में विभाग द्वारा बताया गया कि व्यौहारी द्वारा विलंब से जमा चालान के सम्बन्ध में युक्ति युक्त कारण प्रस्तुत किया गया तथा चालान पत्रावली पर उपलब्ध है|

बिंदु संख्या 02 के सम्बन्ध में विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा युक्ति युक्त कारण की प्रति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई और न ही कोई कारण पत्रावली पर उपलब्ध था|

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

(संलग्नक)

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर 03- आई.टी.सी. रिवर्स न किया जाना ₹1.12 लाख एवं अर्थदण्ड का अनारोपण

क्र स.	व्योव्हारी का नाम / टिन स.	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर जमा करने की तिथि	कर की धनराशि (₹में)	आरोपनीय अर्थदण्ड (₹में)
1.	**सर्वश्री शिरडी इंडस्ट्रीज पंतनगर टिन :** 05004554563	2014-15	04/2014	29.05.2014	1540926	154092.6
			05/2014	04.07.2014	1484667	148466.7
			06/2014	19.11.2014	1270686	127068.6
			07/2014	06.02.2015	1111013	111101.3
			08/2014	06.02.2015	1329399	132939.9
			09/2014	28.02.2015	500000	50000.0
			09/2014	04.03.2015	1014539	101453.9
			10/2014	18.03.2015	1018330	101833.0
			11/2014	18.03.2015	1080654	108065.4
			12/2014	18.03.2015	1467140	146714.0
			01/2015	31.03.2015	500000	50000.0
			01/2015	07.04.2015	1043967	104396.7
			02/2015	07.05.2015	1538441	153844.1
			03/2015	18.05.2015	1261802	126180.2
2.	**सर्वश्री ईडन मोटर्स लिमिटेड पंतनगर टिन :**05006514545	2014-15	04/2014	23.05.2014	65796	6579.6
			04/2014	23.05.2014	4264	426.4
			08/2014	24.09.2014	124932	12493.2
			08/2014	24.09.2014	3865	386.5
			10/2014	21.11.2014	77119	7711.9
			10/2014	21.11.2014	3756	375.6
			11/2014	23.12.2014	17632	1763.2
			11/2014	23.12.2014	5766	576.6
			01/2015	23.02.2015	104133	10413.3
			01/2015	23.02.2015	3184	318.4
			02/2015	21.03.2015	107857	10785.7
			02/2015	21.03.2015	3287	328.7
			02/2015	31.03.2015	67	6.7
			03/2015	22.04.2015	33856	3385.6
			03/2015	22.04.2015	2810	281.0
3.	सर्वश्री ओरंगाबाद इलेक्ट्रिकल लिमिटेड पंतनगर टिन: **05006382528**	2015-16	03/2016	25.04.2016	1963483	196348.3
Total					18683371	1868337.1

₹10.02 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58(1)(xi) के प्रावधानों के अनुसार आई.टी.सी. गलत/झूठे दावे किये जाने पर न्यूनतम ₹5000/- या दावाकृत आई.टी.सी. का तीन गुणा जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.)-I राज्यकर रुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में निम्नांकित कमियां पाई गई:-

1. व्यापारी सर्वश्री इण्डोरेन्स टेक्नोलॉजी पंतनगर कर निर्धारण वर्ष 2014-15 द्वारा संगत वर्ष में प्रान्त भीतर से कुल खरीद ₹ 1,84,87,44,548/- पर कुल ₹ 49371047/- की आईटीसी क्लेम किया गया था|

   जिसमे से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 1,78,463/- की आईटीसी नियमानुसार देय नहीं होने के कारण अस्वीकार्य किया गया था परन्तु इस प्रकार व्यौहारी द्वारा गलत आई.टी.सी. क्लेम किये जाने पर उसके विरूद्ध ₹5,35,389/- का अर्थदण्ड आरोपणीय था, जो नहीं किया गया।

2. व्यापारी सर्वश्री होटल सोनिया प्राइवेट लिमिटेड, रुद्रपुर कर निर्धारण वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 द्वारा संगत वर्षो में क्रमशः ₹728056/- तथा ₹694867/- के ITC का दावा किया गया था|
   जिसमे से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2014-15 में ₹21,381/- व 2015-16 में ₹22,302/- की आईटीसी नियमानुसार देय नहीं होने के कारण अस्वीकार्य किया गया था परन्तु इस प्रकार व्यौहारी द्वारा गलत आई.टी.सी. क्लेम किये जाने पर उसके विरूद्ध ₹1,31,049/- का अर्थदण्ड आरोपणीय था, जो नहीं किया गया।
3. व्यापारी सर्वश्री औरंगाबाद इलेक्ट्रिकल लिमिटेड पंतनगर कर निर्धारण वर्ष 2015-16 द्वारा संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा प्रांतीय क्रय पर ₹26030997/- के ITC का दावा किया गया था जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमन्य किया गया था तथा व्यापारी द्वारा कुल बिक्री ₹ 1660753909/- के सापेक्ष ₹7133391 का स्टॉक ट्रान्सफर भी किया गया था जो कि कुल बिक्री का 0.43% था। अत: स्टॉक ट्रान्सफर के अनुपात में दवाकृत ITC ₹26030997/- का 0.43 % अर्थात ₹ 1,11,933/- का ITC रिवर्स योग्य था| इस प्रकार व्यौहारी द्वारा गलत आई.टी.सी. क्लेम किये जाने पर उसके विरूद्ध ₹3,35,799/- का अर्थदण्ड आरोपणीय था, जो नहीं किया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-04/2005-06	01	01,02	
CT-17/2006-07	01	01,02	
CT-10/2007-08	01,02	01,02,03,04	
CT-17/2008-09	01,02	-	
CT-23/2009-10	01	-	
CT-11/2010-11	01,02,03,04,05,06	-	
CT-54/2011-12	02,03	02	
CT-38/2012-13	01	02	
CT-23/2013-14	-	01,02,03,04,05,06,07,08	
CT-16/2014-15	01,02,03,05	-	
CT-162/2017-18	01,02,03,04,05	01,02,03	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	
CT-04/2005-06	01	01,02		
CT-17/2006-07	01	01,02		
CT-10/2007-08	01,02	01,02,03,04		
CT-17/2008-09	01,02	-		
CT-23/2009-10	01	-		
CT-11/2010-11	01,02,03,04,05,06	-		
CT-54/2011-12	02,03	02		
CT-38/2012-13	01	02		
CT-23/2013-14	-	01,02,03,04,05,06,07,08		
CT-16/2014-15	01,02,03,05	-		
CT-162/2017-18	01,02,03,04,05	01,02,03		

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-प्रथम, राज्य कर, रूद्रपुर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री निशिकान्त सिंह	डिप्टी कमिश्नर

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-प्रथम, राज्य कर, रूद्रपुर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र